उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1

संख्या : 15/2021/बी-1-829/दस-2021-231/2022

लखनऊ : दिनाँक : 30 दिसम्बर, 2021

<u>कार्यालय - ज्ञाप</u>

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि संविधान के अनुच्छेद 206 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-2023 के प्रथम चार माहों (अप्रैल से जुलाई, 2022 तक) के लिये लेखानुदान, जैसा कि विधान सभा में प्रस्तुत किया गया, स्वीकृत किया जा चुका है ताकि राज्य सरकार वित्तीय वर्ष 2022-2023 का आय-व्ययक पारित होने तक उक्त अवधि के दौरान होने वाले खर्चों को वहन कर सके । संविधान के अनुच्छेद 204 के अनुसार समेकित निधि में से विधान सभा द्वारा स्वीकृत अनुदान एवं राज्य की समेकित निधि पर भारित धनराशियों के विनियोग किये जाने का प्राधिकार उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 2021 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 32 सन् 2021) द्वारा प्रदान कर दिया गया है । विधान मण्डल द्वारा प्राधिकृत धनराशि, लेखानुदान से सम्बन्धित बजट साहित्य में प्रदर्शित की गई है ।

2- वित्तीय वर्ष 2022-2023 के प्रथम चार माह के लिये स्वीकृत लेखानुदान के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी करने तथा धनराशि को विभागाध्यक्ष / नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी -

(1) लेखानुदान अवधि के लिये स्वीकृत धनराशि मोटे तौर पर वर्ष 2022-2023 के अनुमानित व्यय का 4/12वां भाग है । परन्तु जिन मामलों में यह अनुपात सुनिश्चित रूप से लागू नहीं किया जा सकता है और प्रतिमाह व्यय की जानी वाली धनराशि समान रूप से वितरित नहीं की जा सकती है, वहाँ आवश्यकतानुसार धनराशि की व्यवस्था की गयी है । लेखानुदान से सम्बन्धित बजट साहित्य में प्रदर्शित धनराशि के अन्तर्गत रहते हुए वित्तीय स्वीकृतियाँ / धनराशि को निवर्तन पर रखे जाने की कार्यवाही इस प्रकार की जाय कि लेखानुदान अवधि में वेतन, भत्तों तथा वचनबद्ध व्यय की अन्य मदों में धनराशि व्यय की आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त हो जाय ।

(2) "लेखानुदान" के अन्तर्गत व्यवस्थित धनराशि से स्वीकृति केवल चालू योजनाओं पर ही दी जाय और किसी भी दशा में इस धनराशि का उपयोग "नई मदों / सेवाओं" पर व्यय के लिये न किया जाय ।

(3) अंशपूँजी विनियोजन तथा 'ऋण एवं अग्रिम' से सम्बन्धित सभी वित्तीय स्वीकृतियाँ वित्त विभाग की सहमति से जारी की जायेंगी ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(4) वृद्धावस्था / किसान पेंशन, निराश्रित महिलाओं एवं दिव्यांगजनों के भरण-पोषण हेतु सहायता आदि के लिये आवश्यक धनराशि की स्वीकृति प्रशासकीय विभाग द्वारा जारी की जायेगी तथा धनराशि सीधे लाभार्थी के खाते में अन्तरित की जायेगी ।

(5) पिछड़ा वर्ग तथा समाज कल्याण विभाग की छात्रवृत्ति से सम्बन्धित वित्तीय स्वीकृतियाँ सुसंगत नियमावली के प्रावधानों के अनुसार सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग द्वारा जारी की जायेंगी तथा धनराशि सीधे लाभार्थी के खाते में अंतरित की जायेगी ।

(6) जिन मामलों में राज्य द्वारा अनुदानित संस्थाओं के वेतन व भत्ते के भुगतान का दायित्व राज्य सरकार पर है, उनके लिए व्यय की मानक मद 31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) के अन्तर्गत बजट प्रावधान से सम्बन्धित वित्तीय स्वीकृतियाँ सुसंगत नियमों व स्थाई आदेशों के अधीन प्रशासकीय विभाग द्वारा निर्गत की जायेंगी । यदि संस्थाओं के पास विगत वर्ष की कोई अप्रयुक्त धनराशि अवशेष है तो उसका समायोजन करने के उपरान्त वित्तीय स्वीकृतियाँ प्रशासकीय विभाग द्वारा निर्गत की जायेंगी ।

(7) ऐसी राज सहायतित संस्थाओं, जिनके वचनबद्ध व्ययों को पूर्णतः अथवा आंशिक रुप से वहन करने का दायित्व राज्य सरकार का है और उन्हें मानक मद-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के अन्तर्गत सहायता दी जानी है, को लेखानुदान अवधि में दी जाने वाली धनराशि की वित्तीय स्वीकृति प्रशासकीय विभागों द्वारा संस्थाओं के पास विगत वर्ष की अप्रयुक्त अवशेष धनराशि के समायोजन के उपरान्त निर्गत की जायेगी ।

(8) मानक मद "14-मोटर गाड़ियों का क्रय" के अन्तर्गत बजट प्रावधान से सम्बन्धित वित्तीय स्वीकृतियाँ वित्त विभाग की सहमति से जारी की जायेंगी ।

(9) स्वायत्तशासी संस्थायें जिन्हें प्रशासकीय विभाग द्वारा सहायता अनुदान / अंशपूंजी / ऋण स्वीकृत किया जाता है, के कोषागार से भुगतान हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-V भाग-I के प्रस्तर 209 के अनुसार स्वायत्तशासी संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत बिलों पर स्वीकृति जारी करने वाले अधिकारी अथवा प्राधिकृत सरकारी अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जाना चाहिए । यदि स्वीकृति जारी करने वाले अधिकारी द्वारा बिलों पर प्रतिहस्ताक्षर न किया जाना हो तो ऐसे में स्वायत्तशासी संस्थाओं के द्वारा प्रस्तुत बिलों पर प्रतिहस्ताक्षर किये जाने वाले सरकारी अधिकारी का स्पष्ट उल्लेख वित्तीय स्वीकृति में किया जाये ।

(10) निर्माण कार्यों की वित्तीय स्वीकृतियाँ निम्नवत् दिशा-निर्देशों के अनुसार जारी की जायेंगी -

(क) चालू निर्माण कार्य की किश्तें प्रशासकीय विभाग द्वारा जारी की जायेंगी । प्रशासकीय विभाग इस बात का ध्यान रखेंगे कि कार्यदायी संस्था के पास दो माह की आवश्यकता से अधिक धनराशि न हो ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(ख) चालू कार्यों की निर्माण लागत यदि रुपये 10.00 करोड़ तक है, तो प्रथम किश्त (50 प्रतिशत) के रूप में दी गयी धनराशि का 75 प्रतिशत उपयोग होने और कार्य की भौतिक प्रगति एवं गुणवत्ता से सन्तुष्ट होने पर दूसरी किश्त प्रशासकीय विभाग के द्वारा अवमुक्त की जायेगी तथा कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्परीक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायेंगे ।

(ग) यदि निर्माण कार्य की लागत रुपये 10.00 करोड़ से अधिक है, तो धनराशि चार किश्तों में अवमुक्त की जाये जिसमें प्रथम किश्त, द्वितीय, तृतीय तथा चौथी किश्त क्रमशः निर्माण लागत की 25 प्रतिशत, 25 प्रतिशत, 25 प्रतिशत एवं 20 प्रतिशत की होगी । कार्यदायी संस्था को जो धनराशि अवमुक्त की जायेगी वह दो माह की आवश्यकता के अनुसार होनी चाहिये । कार्यदायी संस्था को दूसरी किश्त पहली किश्त की धनराशि के 75 प्रतिशत का उपयोग करने के उपरान्त, तीसरी किश्त, पहली किश्त की धनराशि के पूर्ण उपभोग एवं दूसरी किश्त की धनराशि के 75 प्रतिशत का उपयोग करने के उपरान्त, तथा चौथी किश्त, पहली एवं दूसरी किश्त की धनराशि के पूर्ण उपभोग एवं तीसरी किश्त की धनराशि के 75 प्रतिशत का उपयोग करने के उपरान्त अगले दो-दो माह के लिये पुनः आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जाय ।

बकाया 5 प्रतिशत की राशि को अवमुक्त करने की कार्यवाही प्रशासकीय विभाग द्वारा परियोजना के कार्य पूर्ण होने तथा उसकी गुणवत्ता से सन्तुष्ट होने के उपरान्त की जाये ।

(घ) निर्धारित मानकानुसार उपयुक्त भूमि की निर्विवाद रूप से उपलब्धता सुनिश्चित होने पर ही निर्माण कार्य के लिए स्वीकृति जारी की जाय ।

(ड.) रुपये 50 करोड़ से अधिक लागत वाली भवन निर्माण की परियोजनाओं के कार्य वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-19/2019/बी-2-615/दस-2019, दिनाँक 13 दिसम्बर, 2019 के अनुसार लोक निर्माण विभाग के माध्यम से खुली निविदायें आमंत्रित करके ई.पी.सी. मोड में कराये जायें ।

(च) रुपये 50 करोड़ या उससे कम लागत वाली भवन निर्माण की परियोजनाओं में प्रशासकीय विभाग द्वारा विभाग के माननीय प्रभारी मंत्री जी के अनुमोदन से शासन द्वारा अधिकृत राजकीय निर्माण एजेन्सी में से किसी एक का कार्यदायी संस्था के रूप में चयन किया जाये ।

(छ) भवन निर्माण से इतर निर्माण कार्यों हेतु निर्धारित समय सारिणी के अनुसार कार्य पूर्ण कराया जाये । कार्यदायी संस्था से प्राप्त आगणन का मूल्यांकन एवं परियोजना

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश दिनाँक 26 अगस्त, 2014 के प्रावधानों के अनुसार निर्गत की जायेंगी ।

(ज) जिन निर्माण कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति कुर्सी क्षेत्रफल दरों / एलीवेशन एरिया दरों / मानकीकृत लागत के आधार पर निर्गत करते हुए प्रथम किश्त अवमुक्त की गयी है, उनमें द्वितीय एवं अगली किश्तें तभी अवमुक्त की जायें जब परियोजना का जनपद के शिड्यूल ऑफ रेट पर विस्तृत आगणन गठित कर उस पर वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-बी-2-2528/दस-2014-10/77, दिनाँक 26 अगस्त, 2014 के प्रस्तर-4 एवं 5 के अनुसार सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर परियोजना की पुनरीक्षित प्रशासकीय व वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी जाय ।

(झ) कार्यदायी संस्थाओं द्वारा शासकीय धन को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया / राष्ट्रीयकृत बैंकों में ही रखा जाय और यदि शासकीय धन पर कोई ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय ।

(11) उप प्रस्तर 2(10) में दिये गये निर्देश स्थानीय निकायों / पंचायती राज संस्थाओं के लिये मानक मद "35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान" के अन्तर्गत प्रावधानित धनराशि से पोषित निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में भी समान रूप से लागू होंगे ।

(12) स्वीकृतियाँ जारी करने से पूर्व विभागों द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाय कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना से स्वीकृत नहीं हुआ / हो रहा है ।

(13) ऐसी केन्द्र पुरोनिधानित योजनायें (Centrally Sponsored Schemes), जिनमें अधिष्ठान व्यय (वेतन-भत्ते आदि) सन्निहित है तथा योजना के कार्यान्वयन एवं वित्त पोषण के लिए केन्द्र सरकार की वचनबद्धता है और विगत वर्षों में केन्द्रांश नियमित रूप से प्राप्त होता रहा है तथा वित्तीय वर्ष 2022-2023 में भी केन्द्रांश प्राप्त होने की पूरी-पूरी सम्भावना है तो ऐसे मामलों में केन्द्रांश की प्रत्याशा में तीन माह (प्रथम त्रैमास) के वेतन-भत्ते आदि के लिये वित्तीय स्वीकृति प्रशासकीय विभागों द्वारा जारी की जा सकती है ।

(14) केन्द्र पुरोनिधानित योजनायें (Centrally Sponsored Schemes), जिनके कार्यान्वयन एवं वित्त पोषण के लिए केन्द्र सरकार की वचनबद्धता है और विगत वर्षों में केन्द्रांश नियमित रुप से प्राप्त होता रहा है तथा 31 मार्च, 2022 तक अनुमन्य केन्द्रांश के सापेक्ष कोई धनराशि बकाया नहीं है, तो ऐसी योजनाओं के केन्द्रांश की व्यय हेतु आवश्यक धनराशि की वित्तीय स्वीकृतियाँ (केन्द्रांश), प्राप्त केन्द्रांश की धनराशि की पुष्टि वित्त (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग से करने के उपरान्त, प्रशासकीय विभागों द्वारा जारी की जायेंगी ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

कैश मैनेजमेन्ट की दृष्टि से यह आवश्यक है कि प्रशासकीय विभाग द्वारा जारी केन्द्रांश की जानकारी वित्त विभाग को हो । अत: केन्द्रांश की वित्तीय स्वीकृतियों से सम्बन्धित शासनादेश के आलेख पर वित्त विभाग के सम्बन्धित व्यय-नियंत्रण अनुभाग की अशासकीय आदेश संख्या प्राप्त कर अंकित की जायेगी ।

(15)(क) ऐसी केन्द्र पुरोनिधानित योजनायें (Centrally Sponsored Schemes), जिनमें केन्द्रांश एवं राज्यांश एक साथ जारी किया जाना है उनके लिये वित्तीय स्वीकृति केन्द्रांश प्राप्त होने तथा उसकी पुष्टि के उपरान्त वित्त विभाग की सहमति से जारी की जायेगी ।

(ख) केन्द्र पोषित योजनाओं में प्राप्त केन्द्रांश की धनराशि प्रशासकीय विभाग उपरोक्त प्रस्तर 2(14) के अनुसार जारी करने के पश्चात राज्यांश की वित्तीय स्वीकृति वित्त विभाग की सहमति से जारी की जायेगी ।

(16)(क) ऐसी योजनायें जिनके लिये बजट में प्रावधानित एकमुश्त धनराशि से प्रथम किश्त की धनराशि उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के पैरा-94 के प्रावधानों के अन्तर्गत स्वीकृत की जा चुकी है, उनके लिये अगली किश्तें जारी करने के लिये पुनः उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के पैरा-94 के अन्तर्गत कार्यवाही की आवश्यकता नहीं होगी । परन्तु योजना की मूल लागत / योजना के प्रकार या प्रसार में परिवर्तन होने की दशा में वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी करने के पूर्व यथावश्यक उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के पैरा-94 के अनुसार सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जाना होगा ।

(ख) रुपये 200 करोड़ से अधिक लागत वाली परियोजनाओं के व्यय के प्रस्तावों पर माननीय मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्राप्त किया जाता है । इसके अतिरिक्त यदि किसी निर्माण कार्य में उच्च विशिष्टियां सम्मिलित हैं तो ऐसे प्रस्ताव माननीय मंत्रिपरिषद के समक्ष प्रशासकीय विभागों द्वारा प्रस्तुत किये जाते हैं । ऐसे प्रस्तावों पर माननीय मंत्रिपरिषद के अनुमोदन के उपरान्त पुन: उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के पैरा-94 के अन्तर्गत कार्यवाही की आवश्यकता नहीं होगी ।

(17) माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में जिन मामलों में भुगतान किया जाना है, ऐसे मामलों में न्याय विभाग का परामर्श प्राप्त कर प्रशासकीय विभाग द्वारा निर्णय लेकर भुगतान हेतु वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी की जायेंगी ।

3- उक्त प्रस्तर-2 के अनुसार वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी करने अथवा धनराशि को विभागाध्यक्ष / नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने से पूर्व प्रशासकीय विभाग के स्तर पर की जाने वाली समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति अनिवार्यतः सुनिश्चित कर ली जाय । यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष / नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है । जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार / केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति,

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

विभागाध्यक्ष / नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय ।

4- वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-7/2018/ए-1-08ए.जी./दस-2018-10(50)/2011, दिनाँक 14 मार्च, 2018 द्वारा राज्य की संचित निधि से धनराशि आहरित कर पी.एल.ए. में रखे जाने की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है । डिपाजिट कार्यों के लिये प्राप्त धनराशियाँ सम्बन्धित कार्यदायी विभागों द्वारा रेमिटेन्स लेखाशीर्ष '8782' में जमा कर वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-ए-2-47/दस-97-10(9)/95, दिनाँक 03 मार्च, 1997 में दिये गये निर्देशों के अनुसार डिपाज़िट क्रेडिट लिमिट (डी.सी.एल.) निर्गत करके व्यय की जायेंगी ।

5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-16/2018/बी-2-979/दस-2018-244/2018, दिनाँक 01 सितम्बर, 2018 में निहित व्यवस्थानुसार अनुदान संख्या-83 से सम्बन्धित पुनर्विनियोग वित्त विभाग की सहमति से किये जायेंगे ।

6- ज़िला योजनाओं की स्वीकृतियाँ सीधे सम्बन्धित ज़िला स्तरीय अधिकारियों को जारी की जायं तथा उनकी प्रतियाँ सम्बन्धित ज़िलाधिकारियों तथा अन्य अधिकारियों को भी पृष्ठांकित की जायं । इस सम्बन्ध में शासन द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

7- रिसोर्स लिंक योजनाओं (यथा - केन्द्र से वित्त पोषित, वित्तीय संस्थाओं से वित्त पोषित तथा वाह्य सहायतित) में प्रावधानित धनराशियों का अन्य योजनाओं में पुनर्विनियोग न किया जाये ।

8- परियोजनाओं में टाइम ओवर-रन/कॉस्ट ओवर-रन को नियंत्रित करने के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-07/2017/बी-1-823/दस-2017-एम-04/ 2017, दिनाँक 21 जून, 2017 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जाय ।

9- समस्त प्रशासकीय विभाग सम्भावित व्यय की फेजिंग विभाग के कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार कर लें । जहाँ तक सम्भव हो, व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष के लिये प्रतिमाह समान रुप से की जाय ।

10- विभागाध्यक्षों एवं अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रुप से उल्लेख किया जाय कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय । यदि सम्बन्धित विभाग के आहरण एवं वितरण अधिकारी जनपद स्तर पर हैं, तो जनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशियों को सम्बन्धित जनपदों के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित की जाय । ऐसे मामलों में विभागाध्यक्ष स्तर पर एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय । धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के रोकड़ प्रबन्धन (Cash Management) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

11- अनुदानों को विभागवार / विभागाध्यक्षवार तैयार करने के कारण एक ही लेखाशीर्ष अनेक अनुदानों के अन्तर्गत प्रदर्शित होता है, जिसके फलस्वरूप महालेखाकार कार्यालय में व्यय को सुसंगत लेखाशीर्ष / अनुदान के अन्तर्गत पुस्तांकन (बुकिंग) में त्रुटि की संभावना रहती है । अतः वित्तीय स्वीकृतियों तथा कोषागारों में भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले बिलों में सही लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड सहित) के साथ-साथ सम्बन्धित अनुदान संख्या का भी स्पष्ट रुप से उल्लेख कर दिया जाय । भारित व्यय के लिए जारी की जाने वाली वित्तीय स्वीकृतियों में मानक मद के आगे कोष्ठक में 'भारित' शब्द का उल्लेख अवश्य कर दिया जाय । बजट साहित्य में विस्तृत लेखाशीर्ष को चार अंकों में दर्शाया गया है जिसके प्रथम दो अंक उप शीर्ष को प्रदर्शित करते हैं । वित्तीय स्वीकृतियों / आवण्टन पत्रों में विस्तृत शीर्ष का उल्लेख चार अंकों में किया जाय परन्तु आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार में भुगतान हेतु प्रस्तुत बिलों में विस्तृत शीर्ष के अन्तिम दो अंको (चार अंकों में से प्रथम दो अंक छोड़कर) को ही अंकित किया जाय । प्रशासकीय विभागों को इस सम्बन्ध में यदि किसी परामर्श की आवश्यकता हो, तो वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 से परामर्श प्राप्त कर सही लेखाशीर्ष के अन्तर्गत ही स्वीकृतियाँ जारी की जायं ।

12- केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं (Centrally Sponsored Schemes) तथा अन्य संस्थाओं द्वारा वित्त पोषित योजनाओं के अन्तर्गत विगत वर्षों में हुये व्यय की प्रतिपूर्ति प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में प्रशासकीय विभाग के अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव का यह दायित्व होगा कि समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करते हुये व्यय की प्रतिपूर्ति सुनिश्चित करायें । वे कृपया यह भी सुनिश्चित करेंगे कि भारत सरकार / अन्य संस्थाओं को आवश्यक अभिलेखों सहित प्रतिपूर्ति दावे समय से प्रस्तुत किये जायें ताकि इसके अभाव में प्रतिपूर्ति दावों के भुगतान में कठिनाई / विलम्ब न हो ।

13- विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्रावधानित धनराशि का आवण्टन एवं आवण्टित / वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/ दस-16/94, दिनाँक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

14- व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रुप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय । इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्ड्स ऑफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय ।

15- उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के पैरा-88 में स्पष्ट किया गया है कि नियंत्रक अधिकारी या विभागाध्यक्ष, जैसी भी स्थिति हो, और सचिवालय के सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग इस बात को सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायी होंगे कि व्यय को कड़ाई के साथ प्राधिकृत विनियोग के भीतर रखा जाये । अत: नियंत्रक अधिकारी तथा विभागाध्यक्ष के साथ-साथ प्रशासकीय विभाग के अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव के स्तर पर भी वित्तीय स्वीकृतियों के समक्ष व्यय के अनुश्रवण की नियमित व्यवस्था सुनिश्चित की जाये ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

16- वित्तीय स्वीकृतियों के शासनादेश की प्रतिलिपि यथास्थिति, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम / द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज तथा महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम / द्वितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ / प्रयागराज को भेजने के साथ-साथ वित्त विभाग के सम्बन्धित (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग को भी भेजना सुनिश्चित किया जाय । स्थानीय निकायों एवं शासन से अनुदानित संस्थाओं के लिए वित्तीय स्वीकृतियों के शासनादेश निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को भी पृष्ठांकित किये जायें ।

17- वित्तीय स्वीकृतियों से सम्बन्धित आदेशों को वेब साईट http://shasanadesh.up.nic.in पर अनिवार्य रूप से अपलोड किया जाय ।

एस. राधा चौहान
अपर मुख्य सचिव, वित्त
एवं वित्त आयुक्त ।

समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।

संख्या : 15/2021/बी-1-829(1)/दस-2021-231/2022, तददिनाँक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. **महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम / द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।**
2. **महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम / द्वितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ / प्रयागराज ।**
3. **अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश ।**
4. **प्रमुख सचिव, विधान परिषद् / विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश ।**
5. **वित्त विभाग के समस्त व्यय-नियंत्रण अधिकारी / व्यय-नियंत्रण अनुभाग ।**
6. **सचिवालय के समस्त अनुभाग ।**
7. **समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।**
8. **निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ ।**
9. **निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।**
10. **निदेशक, प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग, योजना भवन, लखनऊ ।**
11. **समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।**
12. **समस्त वित्त नियंत्रक / मुख्य / वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।**
13. **गार्ड बुक ।**

आज्ञा से,

आलोक दीक्षित
विशेष सचिव, वित्त ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in